



भारत सरकार
कार्यालय आयुक्त, आर्युक्त,
बेला कौडी, रामकुंभ आर्युक्त, बेला, मुजफ्फरपुर ।

आयुक्त अधिनियम 1961 की धारा 80क(80G) के अधीन आदेश

संस्था का नाम एवं पता - चेतना विकास परिषद,
ग्राम : धबकुली, पोस्ट: रतनपुर बेला,
जिला: रामस्तीपुर (बिहार)

स्थायी लेखा संख्या - AAATC5763C

आदेश की तिथि - 22-02-2012

उपरोक्त संस्था को दिया गया धन आयुक्त अधिनियम की धारा 80क के अन्तर्गत दानदाता के पक्ष में कर मुक्त होगा बशर्ते उसकी रकम प्रावधान में विहित सीमा में हो और निम्नलिखित शर्तों का पालन किया गया हो :-

1. दानदाता को जारी की जाने वाली रसीद में इस आदेश की संख्या और तारीख व करमुक्ति का निर्धारण वर्ष स्पष्ट लिखा हो ।
2. आय एवं व्यय के हिसाब का वार्षिक विवरण सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के पास निश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाये ।
3. संस्था आयुक्त अधिनियम 1961 की धारा 80क(5) में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन करे ।
4. यह कर मुक्ति निर्धारण वर्ष 2012-13 से मान्य है परन्तु अगर अगले किसी वित्तीय वर्ष में संस्था की कुल प्राप्ति आयुक्त अधिनियम की धारा 2(15) के द्वितीय प्रावधान में उचित विधायकताओं से 10 लाख रु० से अधिक हो तब यह आदेश मान्य नहीं होगा ।

1. रजिस्टर क्रम संख्या - 133/2011-12 /

ह०
(एस०डी० आ)
आयुक्त आर्युक्त, मुजफ्फरपुर ।

सं०सं० - आ०आ०/मुज०/तक०/80G/2011-12/4954-56
दिनांक, मुजफ्फरपुर, 22 फरवरी 2012

प्रतिनिधि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त आयुक्त, परिक्षेत्र - 3, दरभंगा
2. सहायक आयुक्त आर्युक्त, अंचल - 3, दरभंगा उपरोक्त संस्था के आय एवं व्यय के वार्षिक लेखों की जांच करें जो कि बीई के आदेश संख्या 3/फाइलसं०००८०/2/59/आई०टी०ए० दिनांक 09.10.1972 एवं आदेश संख्या 63/फाइलसं०३६७/175/47/70/आई०टी०ए० दिनांक 09-10-1972 के अनुसार सातान्त प्रस्तुत करेंगे। जोच रिपोर्ट अपनी लिखनी सहित अपने परिक्षेत्र के अपर आयुक्त आर्युक्त के माध्यम से इस कार्यालय को भेज दें ।

बीधान् सचिव चेतना विकास परिषद के द्वारा आयुक्त अधिनियम 1961 की धारा 80क(80G) के अधीन मान्यता-नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रस्तुत किया गया था । अतः संख्या को कर मुक्ति की मान्यता निर्धारण वर्ष 2012-13 से प्रदान की जाती है ।

(अजय कुमार चौधरी)
आयुक्त अधिकारी (तक०),
फ़्तो : आयुक्त आर्युक्त, मुजफ्फरपुर ।

